March, 1995.
7. Chavas, J. (2001). An International Analysis of Agricultural Productivity. FAO Corporate Document Repository, Economic and Social development Department, 2001.
8. Fulginiti, L.E. and Perrin, R.K. (1998). Agricultural producitivity in developing countries. Elsevier Science B.V Agricultural Economics, 19 (1998), P-45-51
9. Thirtle, C., Piesse, J. and Gousse, M (2005). Agricultural Technology, producitivity and employment : Policies for poverty reduction. Agreckon, Vol. 44, No.1, March 2005, p.41-44

*****

गाँधी–युग में स्त्रियों में सामाजिक जागरण

डॉ0 पुष्पा कुमारी*

परदाविरोधः– गाँधी जी अपने सत्य और अहिंसा की लड़ाई में स्त्रियों के महत्व को स्थान दिये हैं। उन्होंने नारी उत्थान के हरेक पहलू पर सूक्ष्म रूप से मार्ग दर्शन किया है। वे परदा प्रथा को नारी उत्थान के मार्ग में बाधक समझते थे। उन्होने उसके उन्मूलन के लिए आन्दोलन किया। बाल–विवाह सतीप्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का उपाय किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया तथा स्त्री शिक्षा पर जोर दिया।

गाँधी जी को पूर्ण विश्वास था कि देश का भविष्य औरतों पर निर्भर है। वे औरतों को इतना स्वतंत्र बनाना चाहते थे, जिनसे वे अपनी मानसिक शक्ति को उन्नत कर सकें।[1] वे परदा प्रथा के कट्टर विरोधी थे। वे जानते थे, कि इस प्रथा के रहते कोई समस्या सुलझाया नहीं जा सकता तथा वह अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त नही कर सकते है।[2] राष्ट्रवादी विचार धारा में महिलाओं में राजनितिक जागृति के साथ–साथ समाजिक जागरण पर बल दिया गया। स्त्रियों के बारे उनका विचार था कि औरत मर्द का साथी हैं तथा उसकी मानसिक क्षमता बराबर है।

जब गाँधी जी 1917 में चम्पारण आये तो उन्होने यह महसूस किया कि परदा प्रथा बिहारी महिलाओं में ज्यादा है। उन्होनें परदा प्रथा की बुराईयों पर प्रकाश डालते हुए, बताया कि यह प्रथा किस तहर स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, तथा इनके कारण महिलाएँ कैसे अपने विशेष अधिकार से वंचित रह जाती है।[3]

गाँधी जी ने कई स्कूलों की स्थापना सुदूर गॉवों में की तथा इनका संचालन उन महिलाओं के हाथों में सौंपा जो बिहार के बाहर से आयी थी। उन्होंने औरतों के बीच चेतना जगाने की भरपूर कोशिश की। द्वितीय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 29 दिसम्बर 1922 को गया में हुआ। सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि परदा प्रथा बच्चों तथा महिलाओं के कुस्वास्थ्य का प्रमुख कारण है और इसे खत्म होना चाहिए।[4] गाँधी जी ने परदा का विरोध मार्मिक हवाला देते हुए किया था। उन्होने कहा था, कि हिन्दुस्तान में परदे की प्रथा हिन्दुओं के पतन काल से चली है। जिस जमाने में गर्वीली द्रौपती और निष्कलंक

*मध्य विद्यालय, नौवॉ रोहतास (बिहार)

सीता मौजूद थी, उस जमाने में परदा नहीं हो सकता था। गार्गी परदे में बैठकर शास्त्रार्थ नहीं कर सकती थी।[5]

बिहार में 1926 के लगभग मुख्य रूप से परदा प्रथा विरोध की लहर आई।[6] बिहार की स्त्रियों को गाँधी जी ने विश्वास दिलाया था, कि परदा छोड़ देने पर भी भारतीय स्त्रीत्व की पुरानी विनय शीलता कायम रखेंगी।

इस भारी मुश्किलों के सामने साहस और दृढ़ निश्चय दिखायेंगी तो इन्हें सफलता मिलती रहेंगी। अगर परदे के खिलाफ आन्दोलन ठीक तरह से चलाया जायेगा, तो उसमें बिहार की स्त्रियों और पुरूषों को, ठीक ढंग से सामूहिक शिक्षा मिलेगी।[7] अतः 1930 आते–आते बहुत सारी महिलायें परदे से बाहर आकर कांग्रेस के संगठनात्मक कार्य में लग गई। 1942 की क्रान्ति में महिलाओं ने खुलकर भाग लिया।

पुरूषों के जेल चले जाने के बाद कुछ जगहों में आन्दोलन की बागडोर महिलाओं के हाथो में ही थी। अरूणा आसफअली ने बम्बई में नेतृत्व संभाला था। बिहार की महिलायें भी उस समय तक आगे आ गई थी। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी ने पूरे जिले की बागडोर संभाल ली थी।[8] भगवती देवी ने देशोद्धार के लिए परदा प्रथा को तोड़कर बिहारी महिलाओं के नेतृत्व का झंडा उठाया।[9] राजेन्द्र बाबू ने अपने परिवार में अपनी बहन, पत्नी, पुत्र–वधू को गाँधी जी के सावरभती आश्रम में भेज दिया।[10] बेगूसराय की श्रीमती विद्या देवी शादी के कुछ दिनों के बाद ही परदे का प्राचीर तोड़ सार्वजनिक सेवा हेतु बाहर आयी। 1947 तक बहुसंख्यात्मक महिलायें पर्दे का परित्याग कर चुकी थी। जिसमें सबसे ज्यदा संख्या मध्यम वर्ग की महिलाओं की थी। अतः गाँधी जी नारी उत्थान के प्रणेता सिद्ध हुए।

बाल–विवाहः– वेदों में बाल–विवाह का कही पर भी उल्लेख नहीं है, उस काल में लड़कियों का विवाह पूर्ण वयस्क होने पर होता था। और अपना पति चुनने में उसका कम या ज्यादा हाथ अवश्य रहता था।[11] प्रेम विवाह तथा क्षत्रियों में स्वयंवर की प्रथा बारहवी शदी तक प्रचलित थी। बौद्व काल में रजोदर्शन के पूर्व कन्या का विवाह कर देने की व्यवस्था के कारण, बाद में आठ–दश वर्ष में ही विवाह की प्रथा समाज में प्रचलित हो गई।[12] मुगलकालीन सभ्यता में इस प्रथा का और विकास हुआ।[13] फलतः बेमेल विवाह के कारण अधिक्तर बालिकाएँ बाल–विधवा हो जाती थी।[14]

बाल–विवाह का ज्यादातर प्रचलन पूर्णिया की भंजीया जाति में था।[15] चम्पारण की थारू, रॉची की गोरेत तथा पनेरी समुदाय में भी इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। राजपूतों की अपेक्षा ब्राहम्णों में इसका ज्यादा प्रचलन था।

सुधारकों में राजा राम मोहन राय इस आन्दोलन के अगुआ बने। ब्रहम समाज तथा आर्य समाज ने बाल–विवाह का विरोध किया था। 1921 की जनगणना से पता चलता है, कि सभी वर्गो के विवाहित लड़कियों में 19 प्रति हजार 5 वर्ष से कम की थी, तथा 154 प्रति हजार विवाहित लड़कियों में 5 से 10 वर्श के बीच थी, तथा 456 प्रति हजार विवाहित लड़कियाँ 10–15 वर्श के बीच की थीं। इसमें विधवायें भी थीं।[16]

गाँधी जी ने गोद में बैठने वाली लड़की को पत्नी बना लेने को अधर्म की संज्ञा दी थी। बारह साल की लड़की के साथ साठ साल के विधुर की शादी की आलोचना करते हुए, गाँधी जी ने कहा था कि इनका भांडा फोड़ करना चाहिए, न की छिपाना चाहिए। वे 12 वर्ष की शादी को बालात्कार मानते हैं।[17] इस प्रथा को रोकने की जिम्मेवारी गाँधी जी ने शिक्षित महिलाओं पर डाली थी। एनी बेसेन्ट ने भी बाल–विवाह रोकने के लिए आन्दोलन किया।

31 दिसम्बर 1925 को कलकता में अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी ने की। उन्होने कम उम्र में लड़कियों की शादी को खत्म करने तथा सम्मति वय और बढ़ाने पर जोर दिया।[18] अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 5 जनवरी से 18 जनवरी तक पूने में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बड़ौदा की महारानी ने की । उन्होने कहा की सरकार को ऐसा कानून पारित करना चाहिए, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु0 की शादी अपराध समझी जाए।[19] विधवा विवाह पर शारदा एक्ट बना, जो ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध न हो सका। उसके पक्ष–विपक्ष में आवाज उठे। लेकिन गाँधी जी के आह्वान पर जनमत जगा। खासकर स्त्रियों में जागृत आयी। सम्मेलनों का आयोजन होता गया। लड़के–लड़कियों की उम्र सीमा शनै–शनै बढ़ने लगी। लड़कियों कि शिक्षा भी बाल–विवाह उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुई। 1951 की जनगणना के अनुसार केवल 14 बालिकाओं का विवाह 14 वर्ष की उम्र के पहले हुआ। जो 1941 में 17 प्रतिशत था।

विधवा विवाहः– विधवा अपने पति के मरने के बाद त्याग का जीवन व्यतीत करती थी। 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में विधवा–विवाह देखने को नहीं मिलता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20 वीं शताब्दी के प्रथम चरण में विधवा–विवाह की घटना देखने को मिलती है। प्राचीन समय में भी विधवा–विवाह की प्रथा थी, इसका चलन गुप्तकाल तक आया है।[20] बिहार में शाहाबाद जिले के अनुसूचित मुसहर जाति के बीच विधवा–विवाह प्रचलित था।[21] राँची के घासिस जाति के बीच विधवा–विवाह होता था।[22] ज्यदातर विधवा की शादी मृत पति के छोटें भाई द्विवर (देवर) के साथ होती थी। लेकिन छोटे भाई की विधवा से नहीं होती थी।

गाँधी जी समाज में विधवाओं की स्थिति से बहुत चिंतित थे। इसे सुधारने के लिए उन्होने हर संभव प्रयास किया। गाँधी ने उत्साह से विधवा–विवाह का आह्वान किया। वे विधवा–विवाह के ऐसे पक्षधर थे कि इनमें योगदान करना एक धार्मिक कृत्य समझते थे।[23] बाल विधवाओं के विशय में उनका स्पष्ट मत था कि उन्हें विधवा कहा हीं नहीं जाना चाहिए। सयानी विधवाओं के संबंध में उनका कथन था कि, उनका पुनर्विवाह उनकी मर्जी के अनुसार ही होना चाहिए। उन्हे कभी विधवा रहने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।[24] उन्होंने आगे कहा कि बाल विधवा शादी करने पर राजी न भी हो तो उनके माता–पिता को चाहिए कि वे उन्हे शिक्षा दें कि व्याह कर लेना ही ठीक है।

गाँधी के इन विचारों से प्रभावित होकर बिहार के कई गाँधीवादी नेता राजेन्द्र बाबू, जगत नारायण लाल आदि ने भी इस ओर अपना ध्यान दिया। महिला नेत्रियों ने भी विधवा–विवाह का प्रचार प्रसार किया। इससे विधवा–विवाह का काफी प्रचार हुआ। जगत नारायण बाबू ने तो स्वयं विधवा–विवाह कर उदाहरण पेश किया था।[25] बाद में विधवा–विवाह आश्रम की स्थापना भी हुई। धीरे–धीरे विधवाओं का पुनर्विवाह आरंभ हुआ। 21 नवम्बर 1920 को पटना के गोविन्द लाल की विधवा बेटी की शादी मुजफरपुर के जगत नारायण के पुत्र स्वामी शरण से हुई।[26] 1924 को एक ब्राह्मण विधवा की शादी एक सिख सुकण सिंह के साथ हुई।[27] मुंगेर में हिन्दू बनिता आश्रम में रहने वाली कमला देवी का विवाह पटना के देवनाथ लाल से मुंगेर में सम्पन्न हुआ।[28] महिलायें विधवा विवाह में खुलकर सामने आने लगी। कई लोग अपने घर से विधवा–विवाह आयोजित करने लगें। धीरे–ध ीरे विधवा की तरह जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं की संख्या कम होती गई, जो निम्न आकड़ो से स्पष्ट हो जाता है।–[29]

वर्ष	आयु वर्ग
	10 से 15 – 15 से 20
1911–	27 45
1921–	25 49
1931–	15 36

सती प्रथाः– ''सती'' शब्द का अर्थ एक ही पुरूष के प्रति नारी की अटूट आस्था और अगाध प्रेम। पुरूष के मरने के उपरान्त भी स्त्री का अनुराग बने रहना सतीत्व माना गया है। भारतीय नारी जाति द्वारा सतीत्व के आदर्श का सदैव पालन किया जाता रहा है। तथा पातिव्रत हेतु कुछ स्त्रियाँ प्राणों का आहूति देती हुई पायी गई है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं की सह मरण या मरण ही सतीत्व का मार्ग है,[31]

किन्तु परवर्ती युगों में सती का अर्थ रूढ़िवादी होकर मृत पति के साथ चिता में जीतें जी जल जाना हो गया। मध्यकालीन में तो मुसलमानों के द्वारा बलात्कार के डर से पति के साथ जलने की प्रक्रिया का अधिक प्रचलन हुआ। राजपुतों में इसका प्रचलन ज्यादा था। गाँधी जी ने स्त्री जाति की उन्नति के लिए आन्दोलन को कई आयाम दिए। उनके विकास मार्ग में सती प्रथा बहुत बड़ा अवरोध थी। उनके शब्दों में सतीत्व के मायने थे ''पतिव्रता की पराकाष्ठा।'' वे मानते थे की पतिव्रता आत्महत्या करके नहीं सिद्ध की जा सकती। जीवित रह कर ही उसका कठोर पालन करने की सलाह देते थे। पवित्रता रात–दिन कोशिश करके, दिन–दिन आत्मा की कुर्बानी करके ही प्राप्त हो सकती है।[31] सती प्रथा के बारे में गाँधी जी ने कहा–''सच्चे विवाह का अर्थ दो शरीरों का मिलन ही नहीं, आत्माओं का मिलन भी है। आत्महत्या तो बेहद बुरी चीज है। इससे मृत व्यक्ति जिंदा नहीं हो जाता उल्टे जीते जागते की दुनिया से एक और प्राणी चला जाता है।''[32] पुनः गाँधी जी ने हिन्दू धर्म दर्शन का हवाला देते हुए बताया कि– हमारे प्राचीन ऋषियों ने सतियों का यह वर्णन किया है, और वर्णन ठीक ही है, कि वे अपने पति के प्रेम और उसके भक्ति में स्थिर रहती है। वह पति के जीते जी तथा मरने बाद भी मन, वचन, कर्म से बिल्कुल शुद्ध रहती है।

पति के मरने पर कष्टपूर्वक जिंदा जल मरना ज्ञान की निशानी नहीं है, बल्कि आत्मा के स्वरूप के प्रति अज्ञान का चिह्न है। आत्मा नित्य अमर, ब्यापक है, वह षरीर के साथ नष्ट नहीं होती, बल्कि एक चोला छोड़कर दूसरे को अपनाती रहती है, जबतक वह संसार के बंधनों के पूरी तरह छूट नहीं जाति।[33]

बदलते परिवेश में छिटपुट घटनाओं को छोड़ सतीप्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी थी। स्पश्टतः गाँधी के सत्याग्रह द्वारा लोंगों में जागृति आई। स्त्री शिक्षा का प्रचार हुआ। महिला संगठनों में जागृति आई। विधवा–विवाह हेतु तथा सतीप्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनें। इस कुप्रथा को मिटानें में स्त्री शिक्षा तथा उनकी शक्ति की बड़ी भूमिका रहीं।

दहेजः– दहेज रूपी कुप्रथा समाज में सदियों से चली आ रही है। कई समाज सुधारकों ने समय–समय पर समाज की इस कुप्रथा को मिटाने के प्रयास किया। किन्तु गाँधी जी ने विशेषतः नारी समाज को उद्वेलित कर इस कुप्रथा को नष्ट करने की दिशा में जो प्रयास किये, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। वें सदा दहेज प्रथा के कट्टर विरोधी रहें।[34] वे नारी उत्थान में दहेज को बाधक मानते थे। उन्होने यंग इंडिया में लिखा है–'' यह हमारी बदकिस्मती है कि किसी लड़की से शादी करने की कीमत ऐंठने की नीचता को निश्चित अयोग्यता नहीं समझा जाता।[35] उन्होंने खासकर पढ़ी–लिखी युवतियों से इसका विरोध करने का आह्वान

किया।[36] यह प्रथा ज्यादा संपन्न वर्ग में ही थी। ब्रिटिश काल में जब लोग कृषि पर आधारित थे, तब दहेज प्रथा समाज को इस तरह नहीं जकड़े थी।[37] अग्रेजी शासन में जैसे–जैसे शान शौकत बढ़ती गई तथा नौकरियों का प्रावधान होता गया, यह जड़ पकड़ती गई।

अखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन की दूसरी सभा में सरला चौधरी ने दहेज विरोधी प्रस्ताव पास करवाया था।[38] महिलाएँ दहेज रूपी कुप्रथा पर आघातें करती रहीं और गाँधी के कदम से कदम मिलाकर चलती रही। गाँधी ने तिलक दहेज को खरीद बिक्री की संज्ञा दी।[39] इस तरह गाँधी जी के दहेज विरोध आन्दोलन का असर बिहार में अवश्य हुआ। कांग्रेसियों ने आंशिक रूप से दहेज लेना बंद कर दिया। राजेन्द्र प्रसाद ने अपने बड़े पुत्र मृत्युंजय प्रसाद की शादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री से बिना दहेज के कर आदर्श विवाह का नमूना पेश किया। दो अन्य पुत्रों की शादी भी बिना दहेज के की।[40]

नारी उत्थान के विभिन्न पहलुओं के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है, कि 1920 से 1947 (गाँधी युग) के दौरान महिलाओं का समाजिक जागरण विशेष तौर पर हुआ, जिनके प्रणेता गाँधी जी कहे जायेंगें।

सन्दर्भ सूचीः–

1. व्यास, के0 सी0, द सोशल रेनेसां इन इंडिया। पृ0– 174
2. वहीं पृ0–175
3. सीं डुलकर, डी0 जी0 महात्मा भाग–8 पृ0–348
4. इंडियन क्वाटरली रजिस्टर भाग–2, 1923 पृ0–328
5. यंग इंडिया–24
6. छता के0 के0, नेशनलिजम ऐड सोसल बेज इन मॉडर्न इंडिया पृ0–130
7. यंग इंडिया– 28.06.28
8. बिहार की महिलायें पृ0–320
9. वहीं पृ0–334
10. वहीं पृ0–335
11. बिहार की महिलायें पृ0–17
12. वहीं पृ0–19
13. थोमस, पीः वीमेन एण्ड मैरेज इंन इंडिया पृ0–97
14. पुर्वोद्धत फूलन पृ0–36
15. कुमार एन, बिहार डिस्ट्रिक्ट गर्जटियर पृ0–106
16. एज औफ कन्सेन्ट कमिटी का प्रतिवेदन, 1928 पृ0–78
17. यंग इंडिया 15.09.27

18. दता, रेनेसा, नेशलिज्म पृ0–135
19. वहीं पृ0–137
20. देवी चन्द्रगुप्तम्
21. राय चौधरीः बिहार गजेटियर शाहाबाद पृ0–114
22. हैलेट एन0 जी0 बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर राँची पृ0–87
23. यंग इंडिया 4 फरवरी 1926
24. व्यास के0 सी0 : द सोशल रेनेसा इन इंडिया पृ0–175
25. डिस्कवरी ऑफ नेशनल बायोब्राफेज
26. द सर्च लाईट 17 अपैल 1925, पृ0–5
27. वहीं 2 मार्च 1925 पृ0–7
28. वहीं 1931 पृ0–6
29. द इंडियन सोशल रिफारमर 1932–33 पृ0–256
30. कल्याण नारी विशेषांक पृ0–333
31. यंग इंडिया 21.05.32
32. वहीं 21.05.31
33. वहीं 21.05.31
34. कौशिक पी0 डी0ः द कांग्रेस ऑफ इंडिया लौजी एण्ड प्रोग्राम पृ0–152
35. यंग इंडिया 21.02.28
36. वहीं 23.05.36
37. एलटेकर एसः द पोजीसन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सीभीलाईजेशन पृ0–71
38. वहीं वैलूम–25, 1925 पृ0–487
39. गाँधी एम0 के0 : विमेन एण्ड सोशल इनजस्टीस पृ0–42
40. सर्च लाईट, 26 जून 1925 पृ0–5

*****